न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–714/2026
डॉ० उपेन्द्र गोस्वामी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 80/2026, धारा 406,323,504,506,427 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोसीकलाँ, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **डॉ० उपेन्द्र गोस्वामी** की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के निजी विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे वादी कमल सिंह द्वारा पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है, वह 74 वर्षीय वृद्ध चिकित्सक है और मथुरा के प्रतिष्ठित अस्पताल का स्वामी व संचालक है, उसे उक्त अभियोग में अपनी गिरफ्तारी की पूर्ण आशंका है। आवेदक/अभियुक्त भूमि खसरा संख्या 359, 360 स्थित मौजा कोसीकलाँ का अन्य सह–खातेदारों के साथ सह–स्वामी है और उसने इस जमीन में से दिनांक 27.06.2024 को 118.45 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा सात लाख रूपए में वादी कमल सिंह को निष्पादित किया था और प्रतिफल की धनराशि सात लाख रूपए का एक चैक दिनांकित 15.08.2024 का वादी कमल सिंह ने आवेदक/अभियुक्त को दिया था, जिसका भुगतान वादी के बैंक खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण न हो सका। इस पर आवेदक/अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कमल सिंह को चैक की धनराशि का भुगतान किए जाने हेतु डिमांड नोटिस भेजा, जो उसे प्राप्त हो गया, फिर भी उसने चैक की धनराशि का भुगतान नहीं किया तो आवेदक/अभियुक्त ने वादी कमल सिंह के विरूद्ध अवर न्यायालय में धारा 138 एन०आई०एक्ट के अंतर्गत एक परिवाद दिनांक 19.10.2024 को संस्थित किया, जिसमें कमल सिंह को वास्ते विचारण आहूत कर लिया गया। उक्त परिवाद में कमल सिंह का बयान अंतर्गत धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें उसने इस आशय का कथन किया कि आवेदक/अभियुक्त ने तेरह लाख रूपए उसके भाई राकेश से लिए थे, लेकिन वादी ने आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जो प्राथमिकी दर्ज कराई है, उसमें स्वयं के द्वारा तेरह लाख देना अभिकथित किया है, जिससे अभियोजन कथानक स्वयं संदेहास्पद व झूठा साबित होता है। आवेदक/अभियुक्त का वादी कमल सिंह पर जो सात लाख रूपए की धनराशि का मुकदमा विचाराधीन है, उसको वापस लेने का दबाव बनाने की गरज से यह झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। भारत वर्ष के राजपत्र के अनुसार 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता प्रभाव में आ चुकी है तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान निष्प्रभावी हो चुके थे, लेकिन इस अभियोग की प्राथमिकी धारा 406,323,504,506,427 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दिनांक 14.02.2026 को पंजीकृत की गई है, जोकि विधि व न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप बिल्कुल असत्य व झूठे हैं। आवेदक/अभियुक्त की ओर से उक्त अभियोग में इस न्यायालय के समक्ष यह प्रथम अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, इससे पूर्व उसकी ओर से इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में उक्त अभियोग में कोई अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, न कोई जमानत आवेदन निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, अतः उसे दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन/वादी पक्ष की ओर से केस डायरी व थाना आख्या को संदर्भित करते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि इस प्रकरण में

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.09 16:37:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण से वादी मुकदमा कमल सिंह द्वारा अपने छोटे भाई राकेश के लिए दो सौ वर्ग मीटर प्लॉट एन०एच० 2 खसरा संख्या 360 में एन०एच० 2 के पास लेने के लिए दिनांक 25.06.2024 को 13 लाख रूपए एवं 7 लाख रूपए पूर्व में नई रजिस्ट्री में नगद में देना, डॉ० उपेन्द्र गोस्वामी उक्त के द्वारा वादी को प्लॉट का बैनामा न करना तथा वादी के पैसे वापस न करना, वादी को गोली मारने की धमकी देकर गंदी–गंदी गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी देना एवं पुनः दिनांक 05.03.2025 को उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी के प्लॉट पर जे०सी०बी० मशीन बुलाकर उत्तर दिशा में स्थित कोने को तुड़वा देना एवं शिकायत करने पर वादी के साथ धक्का–मुक्की कर जान से मारने की धमकी देना, वादी के रूपए न देना आदि आक्षेपित है। बाद विवेचना इस प्रकरण में आरोपपत्र तैयार हो चुका है, अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष की ओर से मुख्यतः कथन किए गए हैं कि मामला सिविल प्रकृति का है और दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है, वह विचारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

6– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर **दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2019) धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि, वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

(2) आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ?

(3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,

(4) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो,

या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत स्वीकार करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।

गुरूवख्श सिंह सिविया प्रति स्टेट आफ पंजाब 1978 Cr.L.J. 20(F.B.) में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

Sec. 438 of the code is in the nature of a shield for protecting entirely innocent person from malicious humiliation–––care has to be taken that this provision does not become sword in the hands of the unscrupulous person to gain time for destroying the incriminiating evidence against them and to mock at the lagitmate investigation process authorised by law.

अभियोजन/वादी पक्ष को आवेदक/अभियुक्त **डॉ० उपेन्द्र गोस्वामी** के द्वारा वादी कमल सिंह के विरूद्ध कथित रूप से प्रस्तुत किए गए धारा 138 एन०आई०एक्ट के परिवाद के तथ्यों से इंकार नहीं है।

स्वीकृत रूप से आवेदक/अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही उसकी किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में अभियोजन/वादी पक्ष की ओर से कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर कोई मत प्रकट किए, आवेदक/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

1– आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण, न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा

और अपने स्तर से विचारण में कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

2– आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा,

3– आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति व आदेश के भारत नहीं छोड़ेगा,

4– आवेदक/अभियुक्त ऐसा अपराध, जिसे करने का उस पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेगा और उसके द्वारा विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जाँचोपरान्त किसी भी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त **डॉ० उपेन्द्र गोस्वामी** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो विश्वसनीय जमानतें सम्बन्धित न्यायालय में नियमानुसार अविलम्ब प्रस्तुत की जायँ।

दिनांक–09.04.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी